न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी–

रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
100/2025 प्रा.पत्र/2025	23.12.2025	30.01.2026
जीसीएमएस नं0 254/2025		

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव निवासी ढाणी मानावाली ग्राम गोपालपुरा पोस्ट अजीतगढ तह. श्री माधोपुर जिला सीकर विक्रेता मैसर्स श्री राधाकृष्ण मिल्क चिलिंग सेन्टर मेन रोड सोनवा तह. व जिला टोंक। मो.नं. 8386978626
2–श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री केशव दास प्लान्ट ईन्चार्ज मैसर्स श्री राधाकृष्ण मिल्क चिलिंग सेन्टर मेन रोड सोनवा तह. व जिला टोंक। पिनकोड–304001
3–मैसर्स श्री राधाकृष्ण मिल्क चिलिंग सेन्टर मेन रोड सोनवा तह. व जिला टोंक। पिनकोड–304001

........अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियमं 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।
2–अप्रार्थी श्री विनोद कुमार यादव स्वयं उप0।

:–<u>निर्णय</u>–: **दिनांक 30.1.26**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.09.2025 को समय 01:15 पी.एम. पर मैसर्स श्री राधाकृष्ण मिल्क चिलिंग सेन्टर मेन रोड सोनवा तह. व जिला टोंक पर पहुंचा। वहॉ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव अपने प्रतिष्ठान मैसर्स श्री राधाकृष्ण मिल्क चिलिंग सेन्टर मेन रोड सोनवा तह. व जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव ने स्वयं को प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाकर श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री केशव दास को उक्त फर्म का प्लान्ट ईन्चार्ज होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान/चिलिंग प्लांट में एक टैंक में लगभग 8000 लीटर **मिक्सड**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिल्क (खुला) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विनोद कुमार यादव पुत्र श्री गिरधारी लाल यादव व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि प्रतिष्ठान/चिलिंग प्लान्ट में एक टैंक में लगभग 8000 लीटर में से **मिक्सड मिल्क (खुला)** में से 2 लीटर मिक्सड मिल्क वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिक्सड मिल्क (खुला)** 2 लीटर को बराबर–बराबर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर, प्रत्येक भाग को साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शिशियों में बराबर–बराबर प्रत्येक शिशी में 500–500 एम.एल. भरकर प्रत्येक शिशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर अच्छी तहर हिला–मिलाकर, प्रत्येक डिब्बे के ढक्कन को नियमानुसार अच्छी तरह एयरटाईट बन्द कर, लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–4490 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–4490 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/4377 दिनांक 27.10.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं.एलएस/3448/एक्ट/2025/3497

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

दिनांक 18.09.2025 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिक्सड मिल्क (खुला)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011की धारा 3(1)(x) के अनुसार **अवमानक(Substandard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी श्री विनोद कुमार यादव स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थी ने बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। उक्त खाद्य पदार्थ केवल कुछ मानकों को पूरा नहीं करता है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिक्सड मिल्क (खुला)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिक्सड मिल्क (खुला)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/— (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/1/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सील: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज

(मुहर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक)